



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

**U. P. POWER CORPORATION
LIMITED**

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या - 405/अप्र-07/पाकालि/2009-34अ0प्र0-07/08

दिनांक: 27 फरवरी, 09

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित नवतैनाती स्थल/इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले लगभग छः (6) सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

(क) विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग (40 प्रतिशत) सामान्य वर्ग

क्रम सं०	अवर अभियन्ता का नाम एवं पिता का नाम / गृह जनपद/जन्मतिथि/ब्रांच/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती स्थल	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त नव तैनाती स्थल/कार्यालय	अभिज्ञान संख्या
1.	अरुण कुमार उपाध्याय पुत्र श्री तीर्थराज/आजमगढ़/12.07.49/विद्युत/4846	वि0न0वि0मं0, गोरखपुर।	वाराणसी डिस्कॉम	2009034
2.	धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री विध्यांचल लाल /बलिया/05.07.50/विद्युत/4852	वि0वि0मं0-1, केस्को कानपुर।	आगरा, डिस्कॉम	2009035
3.	धनन्जय प्रसाद पाण्डे पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण/ गोरखपुर/15.01.51/विद्युत/4857	वि0वि0मं0, गोरखपुर।	वाराणसी डिस्कॉम	2009036
4.	दनिका प्रसाद पुत्र श्री खूब लाल/गोरखपुर/01.07.51/विद्युत/4858	वि0वि0मं0, बस्ती।	वाराणसी डिस्कॉम	2009037
5.	राजेश कुमार पुत्र श्री राम कृष्ण/सहारनपुर/11.11.51/विद्युत/4864	वि0वि0मं0, मेरठ।	मेरठ डिस्कॉम	2009038

(ख) अनुसूचित जाति वर्ग (40%)

क्रम सं०	अवर अभियन्ता का नाम एवं पिता का नाम/गृह जनपद जन्मतिथि/ब्रांच/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती स्थल	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त नव तैनाती स्थल/कार्यालय	अभिज्ञान संख्या
1.	राम नारायण कमल पुत्र श्री बनवारी लाल कमल/कानपुर/15.12.67/विद्युत/7739	पनकी ताप वि0 गृह, कानपुर।	उ0प्र0रा0वि0उ0 निगम को आवंटित (प्रतिनियुक्ति पर)	2009039
2.	सुशील कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह/मुजफ्फरनगर/08.08.71/विद्युत/7740	वि0न0वि0मं0, मेरठ।	मेरठ डिस्कॉम	2009040

2

उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश याचिका सं० 34006/1995-गैर अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी कल्याण परिषद एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होगा।

(Handwritten signature)

- 3 उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश याचिका संख्या 3902/1995 पुष्पेन्द्र अग्रवाल व अन्य बनाम उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद व अन्य मे मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।
- 4 सक्षम अधिकारी, तैनाती करते समय स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 2.01 के अनुसार गृह जनपद, जनपद तथा एक क्षेत्र में अधिकतम कमशः छः वर्ष तथा दस वर्ष के प्रतिबन्ध के अधीन तैनाती किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 5 उपर्युक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि यथा 31.03.09 तक कार्यभार ग्रहण कार्य करना अनिवार्य है, तत्पश्चात उपरोक्त प्रोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
- 6 अनुसूचित जाति वर्ग के अवर अभियन्ता श्री राम नारायण कमल एवं श्री सुशील कुमार के प्रोन्नति आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी के प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर प्रोन्नत अधिकारी को किसी भी समय बिना नोटिस अथवा क्षतिपूर्ति के अवर अभियन्ता के पद पर पदावनत किया जा सकता है। साथ ही नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रोन्नति पर कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व वह प्रोन्नत अभियन्ता से इस आशय का सहमति पत्र अवश्य प्राप्त कर ले तथा प्रतिहस्ताक्षर कर कार्यभार ग्रहण प्रमाणक के साथ कारपोरेशन मुख्यालय में उपसचिव (अ०प्र०-04) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

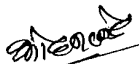
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 405-अ०प्र०-07/पाकालि/2009/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अवमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
- (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रकरण न चल रहा हो।
1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उ०नि०लि० के निजी सचिव।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ /वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, उ०प्र०पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का लगभग 06 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
7. महाप्रबन्धक, पनकी ताप विद्युत गृह उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, पनकी, कानपुर।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल उ०प्र०पा०का०लि०, गोरखपुर/बस्ती/मेरठ।
10. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मंडल उ०प्र०पा०का०लि०, गोरखपुर/मेरठ।
11. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल- I, केस्को, कानपुर।
12. उपसचिव, अ०प्र०-03/04 उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
14. अनुभाग अधिकारी, अ०प्र०-03/04/गोपन अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. संबंधित अधिकारीगण।
16. गार्ड फाइल/कट फाइल।





आज्ञा से,

(रविश पुष्कर)
संयुक्त सचिव